भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5271
उत्तर देने की तारीख : 25.07.2019

अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए निधि

5271. श्री असीत कुमार मालः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास हेतु सभी राज्य सरकारों की मदद कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 और 2018–19 में विभिन्न राज्यों को प्रदत्त धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) यह मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को शामिल करते हुए देश में केंद्रीय रूप से अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों यथा, मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन के कल्याण एवं समग्र विकास हेतु निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है:

(1) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) – विकास की कमी वाले क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियां सृजित करने और अंतराल को पूरा करने के लिए यह मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करता है जिसका उद्देश्य देश में 1300 पहचाने गए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों वाले 308 जिलों में सामाजिक–आर्थिक परिसंपत्तियां और बुनियादी सुविधाएं विकसित करना है।

(2) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपनी राज्य चैनलाईजिंग एजेंसियों के माध्यम से योजनाओं को कार्यान्वित करता है। ब्यौरे वेबसाइट http://www.nmdfc.org/. पर उपलब्ध हैं।

(3) केंद्रीय वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्डों को वित्तीय सहायता देती है। ब्यौरे वेबसाइट http://centralwaqfcouncil.gov.in/. पर उपलब्ध हैं।

(ख) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर गत पांच वर्षों के दौरान हुए कुल खर्च का ब्यौरा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है। पीएमजेवीके योजना के अधीन राज्य–वार व्यय भी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

******